तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **निगरानी./टीए/4823/2004/गंगानगर** **रामस्वरूप बनाम किस्तूरी वगैरहा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एकल पीठ
श्री द्वारका लाल मीणा, सदस्य

उपस्थित–
श्री प्रदीप विश्नोई, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री अमृतपाल सिंह, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 1 से 4
श्री सुनील गर्ग, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 5

निर्णय

दिनांकः–18–03–2018

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–8–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपील के विचारण के दौरान प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 20सीपीसी, सपठित धारा 96 व 151 सीपीसी को खारिज किया है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस निगरानी के संबंध में विस्तार से सुनी।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए आक्षेपित आदेश को विधि के विपरीत बताया। उनका कहना है कि रामस्वरूप रास्ते से संबंधित प्रकरण व अपील में आवश्यक पक्षकार है। आगे बताया कि रास्ते के प्रकरण में लिप्त आराजी किला नम्बर 1 लगायत 5 में से रास्ता स्वीकृत करने के लिए 56 ग्रामवासियों के साथ प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है और उसी प्रार्थना पत्र के

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/4823/2004/गंगानगर रामस्वरूप बनाम किस्तूरी वगैरहा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	क्रम में तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट व ग्राम पंचायत से प्रस्ताव मंगाया गया। उपखण्ड अधिकारी ने अपनी कार्यवाही में ग्राम पंचायत के साथ–साथ अन्य ग्रामवासियों को पक्षकार संस्थित किया है, जिसमें प्रार्थी पक्षकार संस्थित था। इस कारण प्रार्थी उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पक्षकार संस्थित था। परन्तु किस्तूरी आदि द्वारा पेश अपील में उसे पक्षकार नहीं बनाया गया। आगे बताया कि प्रार्थी ने ही ग्रामवासियों की सुविधार्थ रास्ते का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उनका तर्क है कि यदि रास्ते के प्रकरण में प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया तो अपील का निर्णय प्रार्थी के अतिरिक्त ग्रामवासियों के हक भी प्रभावित करेगा। उक्त तथ्यात्मक परिवेश में प्रार्थी अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील में नियमानुसार आवश्यक पक्षकार है, जिसका पक्ष सुने बिना पारित किया गया निर्णय दूषित होगा। उक्त तथ्यात्मक परिवेश में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण खारिज होने योग्य है। अन्त में उन्होंने निगरानी स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–8–2004 को निरस्त कर अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील संख्या 02/2004 बउनवानी किस्तूरी बनाम सरपंच, ग्राम पंचायत में प्रार्थी को बतौर रेस्पोडेन्ट पक्ष संस्थित किए जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी का घोर विरोध करते हुए आक्षेपित आदेश को विधि के प्रावधानों के तहत पारित होना कहा है। उन्होंने बताया	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **निगरानी./टीए/4823/2004/गंगानगर** **रामस्वरूप बनाम किस्तूरी वगैरहा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कि यह सही है कि प्रार्थी के आवेदन पर ही रास्ते संबंधी प्रारम्भिक रूप से प्रकरण में विचारण किया गया था। किन्तु प्रकरण संख्या 105/2002 में ग्राम पंचायत व करतारसिंह ही पक्षकार थे तथा प्रार्थी उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं था। उक्त प्रकरण में पारित निर्णय के विरूद्ध किस्तूरी ने अपील प्रस्तुत की है। उक्त अपील में प्रार्थी को विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं होने के कारण पक्षकार नहीं बनाया गया। यह भी कथन सही है कि प्रकरण को अन्तरण करने बाबत आवेदन प्रार्थी ने ही प्रस्तुत कर दिया, लेकिन अन्तरण प्रार्थना पत्र की कार्यवाही मात्र से किसी व्यक्ति को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। उनका तर्क है कि प्रार्थी ने आलोच्य प्रार्थना पत्र के समर्थन में किसी प्रकार का राजस्व रेकार्ड को पेश नहीं किया है, जिसके आधार पर रास्ते की भूमि पर उसका पक्ष सिद्ध हो सके। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील में प्रार्थी किसी प्रकार से आवश्यक व प्रभावित पक्षकार नहीं है। सारांशतः प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज होने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत निगरानी को खारिज कर आक्षेपित आदेश को यथावत रखे जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 5 ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस का समर्थन करते हुए हस्तगत निगरानी को खारिज कर आक्षेपित आदेश को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की है। हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **निगरानी./टीए/4823/2004/गंगानगर** **रामस्वरूप बनाम किस्तूरी वगैरहा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पारित आदेशों का अवलोकन व अध्ययन किया। हस्तगत मामला व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 41 नियम 20 से संबंधित है, जिसका सुसंगत प्रावधान निम्नानुसार हैः– **Order 41 Rule 20 CPC :** Power to adjourn hearing and direct persons appearing interested to be made respondents— [(1)] Where it appears to the Court at the hearing that any person who was a party to the suit in the Court from whose decree the appeal is preferred, but who has not been made a party to the appeal, is interested in the result of the appeal, the Court may adjourn the hearing to a future day to be fixed by the Court and direct that such person be made a respondent. (2) No respondent shall be added under this rule, after the expiry of the period of limitation for appeal, unless the Court, for reasons to be recorded, allows that to be done, on such terms as to costs as it thinks fit. प्रकरण की समग्र स्थिति इस प्रकार है कि किस्तूरी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के आदेश दिनांक 29–8–2003 के विरूद्ध मियाद से बाधित अपील प्रस्तुत की। इसके साथ ही कारित विलम्ब को क्षमा करने हेतु भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय कारणों के प्रस्तुत किया। अपीलीय न्यायालय के समक्ष उक्त अपील संख्या 02/2004 बउनवान किस्तूरी बनाम सरपंच ग्राम पंचायत व अन्य संस्थित की गई। उक्त अपील के विचारण के दौरान प्रार्थी रामस्वरूप ने दिनांक 26–2–2004 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 20 सीपीसी सपठित धारा 96 व 151 सीपीसी बाबत पक्षकार संयोजित करने बाबत प्रस्तुत किया, जिसे अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित आदेश	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/4823/2004/गंगानगर रामस्वरूप बनाम किस्तूरी वगैरहा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 03–8–2004 द्वारा खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में विवेचन किया कि रामस्वरूप ने रास्ता स्वीकृति के प्रकरण में अन्य कई ग्रामीणों के साथ प्रारम्भिक कार्यवाही की थी। परन्तु अन्तोगत्वा इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 21–10–2002 पारित किया गया। तत्पश्चात यह प्रकरण ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आ गया। रास्ता स्वीकृति के प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में भी केवल ग्राम पंचायत ही पक्षकार थी न कि रामस्वरूप। यह सिद्ध नहीं होता है कि ग्राम पंचायत से अलग हटकर रामस्वरूप का कोई हित इस प्रकरण में निहित हो। रेकार्ड से यह भी परिलक्षित होता है कि रामस्वरूप द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में किसी दस्तावेजी साक्ष्य अथवा प्रमाण संलग्न नहीं किया गया है, जिससे उसके दावे की पुष्टि हो सके। केवल मात्र प्रार्थना पत्र प्रस्तुतीकरण से किसी पक्ष का अपील में हित होना प्रमाणित नहीं माना जा सकता। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जब प्रार्थी विचारण न्यायालय की कार्यवाही में पक्षकार नहीं था तो अपील की कार्यवाही के दौरान अभिलेखीय साक्ष्य के अभाव में उसे पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। उक्त विधिक प्रावधान व प्रकरण का आद्योपान्त अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करने में किसी विधि का उल्लंघन किया जाना नहीं पाया जाता है। सारांशतः प्रस्तुत निगरानी सारहीन होना प्रकट होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत निगरानी	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी./टीए/4823/2004/गंगानगर रामस्वरूप बनाम किस्तूरी वगैरहा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सारहीन पाये जाने के खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–8–2004 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय विचाराधीन अपील में विधि के अनुरूप आगामी विचारण किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(द्वारका लाल मीणा) सदस्य**	